UPKR010005582026

# <u>न्यायालय— सत्र न्यायाधीश, कासगंज</u>

पीठासीन अधिकारी—रामेश्वर (एच0जे0एस0)

I.D No-UP6537

**<u>जमानत प्रार्थना पत्र संख्या—315/2026</u>**

1—बदलशेर उम्र करीब 37 वर्ष पुत्र चमनशेर
2—दलशेर उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र चमनशेर
3—धर्मपाल उम्र करीब 50 वर्ष पुत्र चन्दन सिंह
निवासीगण ननाखेडा, थाना उझानी, जिला—बदायूँ।

**बनाम**

1— उ0प्र0राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता ''फौजदारी'' कासगंज।
2— तोताराम पुत्र नाथूराम निवासी ग्राम चॉदपुर थाना सहावर जिला कासगंज।

अपराध संख्या—419/2025
धारा—305ए,331(4),317(2) बी0एन0एस0
थाना—सहावर, जिला—कासगंज

**<u>07.03.2026</u>**

**1—** प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्तगण बदलशेर, दलशेर एवं धर्मपाल की ओर से अपराध संख्या—419/2025, धारा—305ए,331(4),317(2) बी0एन0एस0, थाना—सहावर, जिला—कासगंज के मामले में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

**2—** जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्तगण की ओर से सहायक लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता ''दाण्डिक'' को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

**3—** संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि वादी मुकदमा तोताराम द्वारा एक तहरीर सम्बन्धित थाने पर इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि वह ग्राम चांदपुर थाना सहावर जनपद कासगंज का रहने बाला है। घटना दिनॉंक 26/27.07.2025 को रात्रि में उसके बच्चे तीसरी मंजिल पर व उसकीपत्नी दूसरी मंजिल पर सो रहे थे । वह जयपुर में काम करता है। रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा नीचे का जंगला निकाल कर घर में रखे बक्से में से सोने चाँदी के जेवरात व बर्तन व कपड़ों की चोरी करके ले गये है जिनकी सूची बनाकर वह जमा करा देगा। जब उसके बच्चे सुबह उठे तब देखा तब पता चला कि घर में चोरी हुई है। उनका जंगला खेत में पड़ा था। उसने 112 पर फोन कर पुलिस को बुलाया व सारी घटना बताई व दिखाई। वादी की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी।

Digitally signed by RAMESHWAR
Date: 2026.03.07 15:55:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

**4–** अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में यह तर्क यह लिये गये हैं कि मुकदमा उपरोक्त में उनको गलत एवं झूॅठा फंसाया गया है, वे बिल्कुल निर्दोष हैं। प्रार्थी/अभियुक्तण नामजद एफ.आई.आर. नहीं है। प्राथमिकी से स्पष्ट है कि घटना के कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। प्राथमिकी से यह भी स्पष्ट होता है कि वादी ने घटना में चोरी गये सामान की कोई सूची नहीं दी है, जिससे प्राथमिकी संदिग्ध हो जाती है। प्रार्थी/अभियुक्तण से कोई अपराध उपरोक्त से सम्बन्धित वस्तु वरामद नहीं हुई कथित बरामदगी फर्जी व नुमाईशी है। प्रार्थी/अभियुक्तण को पुलिस थाना सहावर द्वारा दिं० 23.01.2026 की गिरफ्तारी एवं कनफैसिनल ऐस्टेटमेण्ट 180 बी.एन.एस.एस. के आधार पर फर्जी तरीके से अपनी कारगुजारी दिखाने के लिए कथित मामले में अभियुक्त बनाया गया है। वे अपराध उपरोक्त में दिं0 24.01.2026 से जेल में निरूद्ध है। गिरफ्तारी से पूर्व उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उन पर कथित आरोपित अपराध प्रथम वर्गीय मजि० द्वारा विचारणीय है तथा वे गरीब व्यक्ति है। प्रार्थी/अभियुक्तण अपनी जमानत देने को तत्पर है । पुलिस थाना सहावर द्वारा उनको घर से लाकर फर्जी तरीके से गिरफ्तारी दिखा कर झूठा बन्द किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तण अपनी जमानत देने को तत्पर हैं, उसका दुरूपयोग नहीं करेंगे। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

**5–** विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। अभियुक्तगण ने रात्रि में वादी मुकदमा के घर में घुस कर सोने चांदी के जेबरात व रूपये आदि चोरी कर लिये। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

**6–** पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित है कि प्रश्नगत घटना की तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात के विरूद्ध दर्ज करायी गयी थी। फर्द बरामदगी में वर्णित कथनानुसार प्रार्थी/अभियुक्तगण व सहअभियुक्त को घटना के लगभग दो माह बाद दिनांक 23.01.2026 को गिरफ्तार किया जाना तथा प्रार्थी/अभियुक्त बदलशेर के कब्जे से घटना में प्रयुक्त किये जाने वालं उपकरण सब्बल आदि व 10,700/–रूपये, दलशेर से 9,200/–रूपये व धर्मपाल के कब्जे से 9400/–रूपये बरामद होना तथा जुर्म इकबाल के आधार पर उक्त मामले में संर्लिप्त किया जाना दर्शित किया गया है। किन्तु बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। मामला मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रार्थी/अभियुक्तगण दिनांक 24.01.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। जहॉ तक अभियोजन पक्ष की ओर से प्रार्थी/अभियुक्तगण बदलशेर व दलशेर का सात–सात मुकदमों का एवं धर्मपाल के 10 मुकदमों का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष ने कोई भी ऐसा दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया है जिससे प्रार्थी/अभियुक्तगण की पूर्व में दोषसिद्धि प्रमाणित होती हो।

**7–** अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार है।

**<u>आदेश</u>**

अभियुक्तगण बदलशेर, दलशेर एवं धर्मपाल द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मुब0 75,000/–(पचहत्तर

हजार) रूपये का स्वबंधनामा तथा समान राशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये –

**1–** दौरान विवेचना किसी प्रकार से साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेंगे और विवेचना में सहायता प्रदान करेंगे।

**2–** आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किये जाने की दशा में आरोप की सुनवाई तक वे प्रत्येक नियत दिनांक पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

**3–** दौरान विचारण साक्षीगण के उपस्थित आने पर वे किसी प्रकार का स्थगन प्रस्तुत नहीं करेंगे तथा दौरान वाद निवास स्थान को परिवर्तित करने की दशा में न्यायालय को सूचित करेंगे।

उक्त शर्तो के उल्लंघन पर विचारण न्यायालय अभियुक्तगण की जमानत निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में यथोचित आदेश पारित कर सकेगा

स्टेनो–रामेश्वर दयाल

**(रामेश्वर)**
**सत्र न्यायाधीश,**
**कासगंज।**
**07.03.2026**